पत्रांक— 12 / अ 4— 03 / 2006— ..../

झारखंड—सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक : निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र— 2, कम्युनिटी सेन्टर
प्रीत बिहार, विकास मार्ग,
नई दिल्ली— 110092.

Headmistress
D.A.V. Public School
Sec.-6
Bokaro Steel City

रांची, दिनांक................................/

विषयः— **डी0 ए0 वी0 पब्लिक स्कूल, सेक्टर— 6, बोकारो स्टील सिटी, (बोकारो) को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्वता हेतु अनापति प्रमाण—पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक डी0 ए0 वी0 पब्लिक स्कूल, सेक्टर— 6, बोकारो स्टील सिटी, (बोकारो) से प्राप्त आवेदन (सानुलग्नक छायाप्रति संलग्न) पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने इस विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्वता हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन मात्र सैद्वान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है। सम्बद्वता प्रदान करने के पूर्व बोर्ड अपनी मानक शर्तों को पूरा करने के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेगा। राज्य सरकार की शर्तें निम्नवत हैः—

(i) विद्यालय प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व वर्गवार छात्रों की संख्या, शुल्क, नामांकन प्रक्रिया की पूर्ण सूचना देनी होगी।

(ii) दस प्रतिशत सीट राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बी0पी0एल छात्रों के लिए अनिवार्य है। साथ ही, सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क ही इन छात्रों से लिया जाएगा। विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह का एक प्रमाण—पत्र विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का आर्थिक अनुदान देय नहीं होगा।

(iv) संस्था द्वारा नामांकन हेतु कोई कैपिटेशन फी / डोनेशन नहीं लिया जाएगा।

(v) विद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य होगी।

(vi) विद्यालय में निरीक्षण का अधिकार विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामित पदाधिकारियों को पूर्णतः होगा।

(vii) विद्यालय में किसी भी तरह का शुल्क बढ़ाने से पूर्व उसपर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(viii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विद्यालय को प्राप्त आय का उपयोग किन—किन कार्यों में किया जाएगा, उसकी जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी तथा उसकी स्वीकृति भी राज्य सरकार से लेनी होगी। साथ ही, प्रतिवर्ष विद्यालय को प्राप्त आय का अंकेक्षण कराकर उसके प्रतिवेदन की एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(ix) शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों सहित शेष अन्य तरह के भुगतान चेक के माध्यम से ही किया जाएगा।

(x) नामांकन की प्रक्रिया में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक / जिला शिक्षा पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे।

(xi) यह संस्था राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत होनेवाले नियमों का अक्षरशः पालन करेगी।

कृ0पृ0उ0

HEADMISTRESS
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
SEC.-VI BOKARO STEEL CITY